न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 141/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.12.2021
GCMS NO. :-2021/141

सुरेश चन्द्र पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी कांकरिया हाल कबीर कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–श्रीमति कंचन देवी पुत्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–दुर्गाप्रसाद पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–रमेशचन्द्र पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–श्यामसुन्दर पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरण संख्या 583 स्वीकृत दिनांक 16.11.2021

उपस्थितिः– 1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री बसन्ती लाल पोखरना, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

प्र. सं. 141/2021 (रा. अ.)

सुरेश चन्द्र पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया हाल कबीर कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ बनाम कंचन देवी पुत्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 25.07.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील इस आशय की पेश की है कि मौजा कांकरिया तहसील कपासन में मृत्तक खातेदार बंशीलाल पिता हेमराज की आराजी नम्बर 1213/937 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1214/943 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1221/253 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.74 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 255 रकबा 1.64 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 704 रकबा 0.34 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 883 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 884 रकबा 0.24 हैक्टेयर आराजी नम्बबर 887 रकबा 0.88 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 938 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 939 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 944 रकबा 0.14 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 945 रकबा 0.22 हैक्टेयर किता 13 कुल रकबा 6.73 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 940 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से 1/6 हक हिस्सा, आराजी नम्बर 880 रकबा 0.05 में से 1/6 हिस्सा, आराजी नम्बर 881 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा, आराजी नम्बर 886 रकबा 0.08 में से 1/2 हक हिस्सा भूमि दर्ज रेकार्ड रही है जिसमें बंशीलाल का हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है उक्त कृषि आराजीयात बंशीलाल की स्वअर्जित रही। बंशीलाल ने अपीलांट की सेवा से प्रसन्न होकर अपीलांट के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 17.08.2021 को पंजीकृत करवा दिया तभी से अपीलांट वसीयत शुदा आराजीयात पर काबिज है। बंशीलाल की मृत्यु के पश्चात् तहसीलदार कपासन ने राजस्व अभियान शिविर जीतिया में बिना जांच पड़ताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के निवेदन पर विरासत के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो

Web Copy - Not Official

विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन का नामान्तरण संख्या 583 मौजा कांकरिया स्वीकृत दिनांक 16.11.2021 निरस्त फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्ती लाल पोखरना ने अधिकार पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार, कपासन है। नामान्तरण से संबंधित पत्रावली/अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरण से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ। उभय पक्ष के अधिवक्ता ने उभय पक्ष के पक्षकारान एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के हस्ताक्षर शुदा आपसी राजीनामे का जवाब पेश किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मौजा कांकरिया तहसील कपासन में मृत्तक खातेदार बंशीलाल पिता हेमराज के खातेदारी की आराजी नम्बर 1213/937 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1214/943 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1221/253 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.74 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 255 रकबा 1.64 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 704 रकबा 0.34 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 883 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 884 रकबा 0.24 हैक्टेयर आराजी नम्बबर 887 रकबा 0.88 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 938 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 939 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 944 रकबा 0.14 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 945 रकबा 0.22 हैक्टेयर किता 13 कुल रकबा

Web Copy - Not Official

6.73 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 940 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से 1/6 हक हिस्सा, आराजी नम्बर 880 रकबा 0.05 में से 1/6 हिस्सा, आराजी नम्बर 881 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा, आराजी नम्बर 886 रकबा 0.08 में से 1/2 हक हिस्सा भूमि दर्ज रेकार्ड रही है। बंशीलाल जी ने अपीलांट की सेवा से प्रसन्न होकर उनके जीवनकाल में दिनांक 17.08.2021 को गवाहान के समक्ष अपीलांट के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर उसे पंजीकृत करवाया। तभी से अपीलांट वसीयत शुदा आराजीयात पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। बंशीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभियान शिविर जीतिया में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के निवेदन पर अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन ने बिना जांच पड़ताल के पंजीकृत वसीयतनामे के विपरीत विरासत का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो निरस्त योग्य है। वर्तमान में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा उसी राजीनामे के आधार पर उभय पक्ष नामान्तरण खोले जाने हेतु सहमत है। अतः अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन द्वारा बिना जांच पड़ताल पारित किया गया नामान्तरण संख्या 506 स्वीकृत दिनांक 16.11.2021 निरस्त फरमावें तथा अधीनस्थ तहसीलदार को राजीनामे अनुसार नामान्तरण पारित करने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का मुख्य कथन यह रहा कि वर्तमान में उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसी राजीनामे अनुसार नामान्तरण खोले जाने हेतु अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन को निर्देशित फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन द्वारा विवादित नामान्तरण से संबंधित प्रेषित अभिलेख का गहनतापूर्वक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार बंशीलाल पिता हेमराज की मृत्यु होने पर उनके पुत्र रमेशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन द्वारा यह विरासत का नामान्तरण स्वीकृत किया है जो कि राजस्व अभियान शिविर में खोला जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

नामान्तरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरण तस्दीक करना होता है, किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार कपासन द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में इस तथ्य की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है।

चूंकि वर्तमान में उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा होकर उभय पक्ष राजीनामे अनुसार नामान्तरण खोले जाने हेतु सहमत हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, कपासन द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 583 दिनांक 16.11.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में उभय पक्ष को साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधि–सम्मत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

Web Copy - Not Official